अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–79 सन् 2017

राम बालक राय.....वादी

बनाम

गणेश राय व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक–09.11.2020

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–22.02.2020 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का आवेदन में कथन है कि वादी ने वर्तमान वाद दाखिल कर न्यायालय से बंटवारा की डिकी 1/6 हिस्सा वादी को बांटकर अलग तख्ता कायम करने के अनुतोष की प्राप्ति हेतु दाखिल किया है। बैनामा क मूल दस्तावेज दिनांक–28.07.1978 के दस्तावेज को न्यायालय के द्वारा वादी को जमा करने का आदेश दिनांक–27.06.2018 को दिया गया था। लेकिन वादी ने बैनामा का मूल दस्तावेज न्यायालय में नहीं जमा कर उसकी सच्ची प्रतिलिपि न्यायालय में जमा किया है जो बिल्कुल जाली व फजी है। सच्ची प्रतिलिपि के दस्तावेज रजिस्ट्री कार्यालय सोनपुर से कोई ताल्लुक नहों रखता है। ऐसी परिस्थिति में वादी बनामा दिनांक–28.07.1978 का न्यायालय के आदेश दिनांक–27.06.2018 के आलोक में न्यायालय में दाखिल करना न्याय के लिए जरूरी हो गया है। अतः निवेदन है कि वादी के द्वारा बैनामा दिनांक–28.07.1978 को न्यायालय में दाखिल करने से वंचित किया जाए।

वादी की ओर से दिनांक–28.08.2020 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन है कि प्रतिवादी का आवेदन दिनांक–05.02.2020 तथा 22.02.2020 बिल्कुल ही अस्पष्ट एवं विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि वादी के द्वारा पूर्व में ही बैनामा दिनांक–28.07.1978 की सच्ची प्रतिलिपि मूल की अनुपलब्ध होने के कारण दाखिल की जा चुकी है। प्रतिवादी बेवजह अपना पक्ष कमजोर पाते हुए वाद को विलंब करने के उद्देश्य से एक ही बात को बार–बार आवेदन दाखिल कर निवेदन करते है जो न्यायहित में स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी के द्वारा दाखिल आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि एकमात्र वादी राम बालक राय ने यह बंटवारा वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर मद सं0–1 वादपत्र में वर्णित भूमि में से अपना 1/6 हिस्सा अर्थात् 1 कठा डेढ़ धूर को बांटकर अलग तख्ता कायम करने के अनुतोष की प्राप्ति हेतु दाखिल किया है। वादी ने वादपत्र के पृष्ट 6 पर एक कुर्सीनामा का जिक किया है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज भज्जू राय से संबंध रखते हैं। वादी ने वादपत्र के कंडिका 8 में वर्णित किया है कि रामवृक्ष राय अपने हिस्से की एक कठा डेढ़ धूर भूमि रामजी राय प्रतिवादी फरीक 2 से बेच दिया जिसके कारण रामवृक्ष राय इस वाद के आवश्यक पक्षकार नहीं हैं। इसलिए उनके वारिसानों को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। कंडिका 9 में वादी ने धूपलाला राय जो आधे हिस्सेदार थे ने भी तकरारी प्लॉटों की कुल एराजी 6 कठा 9 धूर में से आधा हिस्सा की भूमि प्रतिवादी सं0 1 के दादा अम्बिका राय को बेच चुके हैं। इसलिए अम्बिका राय के वारिसानों को भी पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। वादी ने अपने प्रतिउत्तर में मूल बैनामा दिनांक–28.07.

1978 को न्यायालय में दाखिल नहीं करने के कारण मूल बैनामा की अनुपलब्धता है और उनके द्वारा उसकी सच्ची प्रतिलिपि न्यायालय में दाखिल की गई है। इस प्रकार वादी का यह कथन है कि उनके पास मूल बैनामा दिनांक–28.07.1978 अनुपलब्ध है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विवंध है। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा पुनः मूल बैनामा दाखिल करने से उसे न्यायालय द्वारा वंचित किया जाता है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक– 22.02.2020 को स्वीकृत किया जाता है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक–18.01.2021

सब जज

सोनपुर सारण।